राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प012(07) राज/वाद/2012 जयपुर दिनांकः 3/8/21

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/
जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।

विषयः– दिनांक 11.09.21 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में।

संदर्भः– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्र क्रमांक 12076–12085 दिनांक 26.07.21।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, रा.ल.सा. के निर्देशानुसार तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.09.21 (द्वितीय शनिवार) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालय (राजस्व न्यायालयों को छोड़कर) में ऑफ लाईन/ऑन लाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जावेगी।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार अनुरोध है कि आप सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान करे कि वेः–

1. लोक अदालत में निस्तारित होने वाले सभी उपयुक्त प्रकरणों को विभागीय स्तर पर चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय में, जहॉ विवाद लम्बित है, प्रस्तुत करे एवं उक्त सूची की एक प्रति दस दिवस में इस कार्यालय (विधि विभाग) को भी प्रेषित करे।
2. एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूर्ण तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लेने तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने हतु समुचित निर्देश प्रदान करे।
3. विभागीय अधिकारीगण को लम्बित सिविल व रिट प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निस्तारण एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष नियत करने हेतु कार्य योजना बनाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करे।
4. इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित किए जाने वाले प्रकरणः–

- **प्री–लिटिगेशन प्रकरण (Pre-Litigation Cases):–**
  - धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
  - धन वसूली के प्रकरण।
  - श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
  - बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
  - भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण।
  - अन्य प्रकरण (दाण्डिक शमनीय एवं अन्य सिविल प्रकरण)।
- न्यायालय में लंबित प्रकरण (Case pending in Court)।

- दाण्डिक शमनीय प्रकरण।
- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- धन वसूली के प्रकरण।
- एम.ए.सी.टी. के प्रकरण।
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)।
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण (सिविल न्यायालय/अधिकरण में लंबित)।
- मजदूरी भते और पेंशन से संबंधी सेवा मामले।
- राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित)।
- अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि।

अतः निर्देशानुसार आप से यह भी अनुरोध है कि आप लोक अदालत में निस्तारित करवाये जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित करवाकर आपके विभाग की ओर से किसी ऐसे अधिकारी को नोडल अधिकारी या प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करे।। जो आपके विभाग का वरिष्ठ/सक्षम अधिकारी हो, जो मुकदमों में राजीनामे के माध्यम से निस्तारण करने हेतु विभाग की ओर से सक्षम हो। ऐसे नामित/अधिकृत नोडल अधिकारी एवं प्रकरण प्रभारी अधिकारी को यह भी निर्देश प्रदान करे कि वे लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे। आप द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी/प्रकरण प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं उनके मोबाईल नं0/दूरभाष नम्बर आदि की जानकारी एवं राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु आपके विभाग से चिन्हित किये गये प्रकरणों की सूची **10 दिवस** के भीतर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करे, जिससे कि चिन्हित प्रकरणों की सूचना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित की जा सके।

3/6/24

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि